रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 1979/भाद्र 22, 1901
No. 293] NEW DELHI, THURSDAY SEPTEMBER 13, 1979/BHADRA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1979

सा का.नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम के नियम 4 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) इन नियमों में सिक्किम राज्य सरकार की बाबत इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य काडर के आरम्भिक गठन के समय उस काडर में भर्ती ऐसी पद्धती से की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, विहित करे ।"

[संख्या 11027//79-अ. भा. से. (1)]

टी. वी. रमानन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1979

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Police Service (Recruitment) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. After sub-rule (4) of rule 4 of the rules, the following sub-rule shall be added, namely :—

"(5) notwithstanding anything hereinbefore contained in this rule, in relation to the State of Sikkim, recruitment to the State Cadre on its initial constitution shall be made by such method as the Central Government may, after consultation with the State Government and the Commission, prescribe."

T. V. RAMANAN, Jt. Secy.

[No. 11027/1/79-AIS(I)]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979